राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास परियोजना

क. परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास परियोजना (एनआरईटीपी/NRETP) कार्यक्रम की रचना ग्रामीण स्तर पर विकासशील उद्योगों का सहयोग करने और उन्हें विकसित बनने के लिए प्रोत्साहित करने के दृष्टि से की गयी है।

ख. अंग

1. वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर (ओएसएफ/OSF)- उप-जिला स्तर पर जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े विकासशील उद्योगों को चयनित प्रखंडों में सहयोग देने के लिए वन स्टॉप सुविधा केंद्र की स्थापना की गयी है।

2. क्लस्टर- बिहार में बड़े क्लस्टर उद्योगों को अद्योगामी और अग्रगामी श्रंखला से जोड़ना, बाज़ार में प्रचलित एवं मांग के हिसाब से वस्तुवों का उत्पादन करना और बड़े बाजारों तक पहुच बनाने में सहायता प्रदान करना।

3. इनक्यूबेशन - जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े प्रगतिशील ग्रामीण उद्योगों का उश्मायन करना।

ग. लक्षित सदस्य/उद्योग

1. ओएसएफ/OSF- 6000 उद्योगों को 12 जिलों एवं 40 प्रखंडों में, मापदंडों के आधार पर चयनित कर व्यापारिक विकास /मुनाफे में सहयोग करना।

2. क्लस्टर- मधुबनी और दरभंगा के हस्तशिल्प क्लस्टर (मिथिला पेंटिंग और सिक्की) के 650+ शिल्पकारों को नवसृजित करना।

3. इन्क्यूबेशन- पूरे बिहार में 150 बड़े उद्योगों को प्रतियोगिता के माध्यम से चुनकर उन्हें वित्तीय एवं अन्य सहयोग द्वारा विकशित व्यवसाय बनाना।

घ. मानव संसाधन

NRETP परियोजना को ज़मीनी स्तर पर कारगर करने के लिए निम्न मानव संसाधन की परिकल्पना की गयी है: -

1. NRETP कैडर– ६-७ प्रति प्रखंड
2. समुदायिक संगठन (CLF/VO/SHG) स्तर पर- ओएसएफ प्रबंधन समिति
3. जीविका प्रखंड टीम (BPIU)- प्रखंड परियोजना प्रबंधक, ब्लॉक तकनीकी समन्वयक-उद्योग संवर्धन (BTC-EP) और मार्गदर्शक (Mentor)
4. जीविका जिला टीम (DPCU)- जिला परियोजना प्रबंधक, जिला तकनीकी विशेषज्ञ- उद्योग संवर्धन (DTE-EP) और विशेषज्ञ (Functional Expert)
5. जीविका राज्य टीम (SPMU)- राज्य परियोजना प्रबंधक– नॉन फार्म, परियोजना प्रबंधक – व्यापर विकास, प्रबंधक-नॉन फार्म (एनआरईटीपी/NRETP)|

ङ. ओएसएफ (OSF) के घटक

1. उद्योगों के चयन के लिए कारोबार की सीमा मानदंड:-

उद्योग श्रेणी	व्यक्तिगत उद्योगों के लिए न्यूनतम वार्षिक आय	समूह उद्योगों के लिए न्यूनतम वार्षिक आय
ट्रेडिंग	INR 6.00 lakh	INR 8.00 lakh
उत्पादन	INR 4.00 lakh	INR 6.00 lakh
सेवा	INR 3.00 lakh	INR 5.00 lakh

2. ओएसएफ (OSF) सेवाएं

3. समर्थित उद्योगों के प्रकार और संख्या

#	उद्योग प्रकार	व्यक्तिगत उद्योग	सामूहिक उद्योग
1	कम से कम 12 महीने पुराने उद्यम	122	13
2	नए उद्यम	13	2
	Total (150)	**135**	**15**

4. वर्जित उद्योग

निम्नलिखित उद्योग ओएसएफ द्वारा समर्थीत नहीं होंगे:

a. कृषि प्राथमिक उत्पादन गतिविधियाँ |
b. घर के बाड़ी / पिछवाड़े की गतिविधियाँ (जैसे मुर्गी पालन, बुनाई की पूर्व तैयारी की गतिविधियाँ जैसे वारपिंग, बोबिन वाइंडिंग आदि)|
c. परियोजना कर्मचारियों द्वारा संचालित उद्योग

5. ओएसएफ के अंतर्गत ऋण सहायता का प्रावधान

उद्योग श्रेणी	**CEF से अधिकतम वित्त सहायता**	**उद्यमी द्वारा अंशदान (न्यूनतम)**	**ऋण स्थगन (Moratorium period)**	**पुनर्भुगतान की अवधि (Repayment period)**	**ब्याज दर**
व्यक्तिगत उद्यम	INR 2.50 lakh	10%	6 महीने	12-48 महीने	1% प्रति माह घटित राशि पर (12% प्रति वर्ष)
सामूहिक उद्यम	INR 5.00 lakh	10%	6 महीने	12-48 महीने	1% प्रति माह घटित राशि पर (12% प्रति वर्ष)

6. कैडर प्रशिक्षण के लिए सहयोगी संस्था- कुदुम्बश्री (एनआरओ), केरल।

च. क्लस्टर घटक

1. क्लस्टर का नाम - हस्तशिल्प क्लस्टर

2. शिल्पकार - 650+ कारीगर

3. क्षेत्र- दरभंगा और मधुबनी

4. शिल्प- मिथिला पेंटिंग और सिक्की

5. सहयोग क्षेत्र- नए उत्पाद विकास, बाजार तक पहुँच एवं अनुबंध, बिक्री, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

6. सहायक संस्था– फाउंडेशन फॉर MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्लस्टर्स

छ. ऊष्मायन (Incubation) **घटक**

1. उद्योगों के चयन के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन

2. उद्योगों के प्रकार – विनिर्माण/उत्पादन और सेवाएं

3. टर्नओवर (Turnover) रेंज- तीन प्रकार के उद्योगों को इनक्यूबेटर द्वारा समर्थित किया जा सकता है:-

#	**उद्योग का प्रकार**	**न्यूनतम वार्षिक कारोबार (पिछले 2 वर्ष)**	**GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य**
A	बड़े उद्यम	INR 20 Lakhs	हाँ
B	समूह उद्यम	INR 15 Lakhs	नहीं
C	व्यक्तिगत उद्यम	INR 12 Lakhs	नहीं

4. इन्क्यूबेटर सहायता के लिए विर्जित उद्यम

उद्योगों की एक सूची (सांकेतिक) निम्नलिखित है, जो एनआरईटीपी (NRETP) के तहत इन्क्यूबेटर द्वारा समर्थित नहीं होगी:-

क. कृषि और प्राथमिक उत्पादन / एकत्रीकरण गतिविधियाँ |
ख. पिछवाड़े की गतिविधियाँ (मुर्गी पालन, बुनाई की पूर्व तैयारी गतिविधियाँ जैसे वारपिंग (Warping), बोबिन वाइंडिंग (Bobin winding) आदि) |
ग. व्यापार / खुदरा (Retail) उद्यम |
घ. वैसे उद्योग जो न्यूनतम स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं |
ङ. वैसे उद्योग जो पर्यावरण सुरक्षा उपायों का अनुपालन नहीं करते हैं |
च. परियोजना कर्मचारियों द्वारा संचालित उद्यम।

5. सहयोग क्षेत्र- कौशल प्रशिक्षण, विकास योजना तैयार करना, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, नियामक अनुपालन, बाजार बाजार तक पहुँच एवं अनुबंध, नवाचार/ नवीनीकरण और तकनीक अपनाना।

6. चैलेंज फंड- चैलेंज फंड सामाजिक रूप से सार्थक परियोजनाएं के जोखिमों को कम करने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से लंबे समय के लिए प्रगतिशील रखने का एक अभिनव वित्तपोषण तंत्र है। इसके तहत उद्यमों को वित्तीय सहायता आवंटित करने के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाया जायेगा।

चैलेंज फण्ड के प्रकार:-

क) अनुदान

उद्योग प्रकार	**प्रथम पुरस्कार**	**द्वितीय पुरस्कार**	**तृतीय पुरस्कार**	**विजेता उद्यमों की संख्या**
बड़े उद्योग	INR 15 Lakhs	INR 10 Lakhs	INR 5 Lakhs	6
सामूहिक उद्योग	INR 7.50 Lakhs	INR 3.75 Lakhs	INR 1.25 Lakhs	6
व्यक्तिगत उद्योग	INR 6 Lakhs	INR 3 Lakhs	INR 1 Lakhs	6

ख) सॉफ्ट लोन (0% ब्याज दर पर)

उद्योग प्रकार	**अधिकतम ऋण राशि देय**	**विजेता उद्यमों की संख्या**
सामूहिक उद्योग	INR 5 Lakhs	66
व्यक्तिगत उद्योग	INR 3 Lakhs	66

7. सहायक संस्था- भारतीय प्रबंधन संस्थान - कलकत्ता इनोवेशन पार्क